न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 31/2016
जीसीएमएस : 2016/00622

1. प्रीतम सिह पुत्र करतार सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 5 एफएफ बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

बनाम

1. जोगेन्द्र सिह पुत्र मखन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 5 एफएफ बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. दिशारानी उर्फ सर्वजीतकौर पुत्री मखनसिंह पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 9 जी.डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
3. राजविन्द्र कौर पुत्री मखनसिंह पत्नी कुलविन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी सरदारपुरा बीका तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. मलकीत सिंह पुत्र सन्तासिंह कम्बोसिख नि0 5 एफएफ पीरांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री सोहनलाल जोशी, वकील प्रार्थी
2. श्री गुरप्रताप सिंह, वकील अप्रार्थीगण

—: निर्णय :—

दिनांक : 25.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के ताया मखनसिंह चक 5 एफएफबी के मु.नं. 5 प.नं. 224/233 कि.नं. 11/4 से 23/1 कुल 3.225है. नहरी भूमि धारण करते थे। मखन सिंह प्रार्थी के साथ रहते थे। प्रार्थी ही उनकी सेवा करता था। इसी दौरान गांव में एक स्त्री अपने साथ दो पुत्रीयों व एक पुत्र को लेकर गांव में आबाद हो गई मखनसिंह का वहां आना जाना हो गया। परन्तु उनका उनसे कोई स्नेह नहीं था। मखनसिंह ने स्वेच्छा से एक वसीयत दिनांक 17.08.1990 को गवाहान त्रिलोचन सिंह पुत्र करतार सिंह व गुरदेव सिंह पुत्र करतार सिंह के समक्ष निष्पादित व हस्ताक्षरित कर दी। वसीयत प्रेमचन्द बंसल एडवोकेट से प्रमाणित करवा दी थी। वसीयत के एक माह पश्चात मखनसिंह का स्वर्गवास हो गया। और यह वसीयत उनकी अन्तिम वसीयत थी इस वसीयत के द्वारा उनके समस्त अधिकार प्रार्थी के पक्ष में अन्तरित हो गये थे। वसीयत के समय मखनसिंह का कुछ भाई–बहुओं के साथ मुश्तरका खाता था। इसलिए वसीयत का पूर्ण अमलदरामद नहीं हो सका। खातेदारों के खाता विभाजन से मखन सिंह के पक्ष में स्व. मखनसिंह के पक्ष में उपरोक्त वर्णित भूमि हिस्से में आई और उनके नाम कागजात में दर्ज हुई। मखनसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 एव उनकी माता भानकौर के नाम से विरास्तन इतकाल कतई गलत दर्ज हुआ क्योंकि ना तो भानकौर मखनसिंह की पत्नी थी और ना ही प्रतिवादीगण मखन सिंह के वारिस। इसलिए इन्तकाल सं. 45 दिनांक 17.06.1992 विधि विरूद्ध हैं। प्रार्थी एक अनपढ देहाती कृषक हैं। उसके द्वारा वसीयत कहीं रख दी गई और नहीं मिली। इसलिए इंतकाल के विष में कार्यवाही प्रारम्भ करने पर वसीयत [illegible] के कारण सफलता नहीं मिली। मखनसिंह की पत्नी भानकौर का देहान्त तो उनके जीवन काल में ही हो गया था। प्रार्थी वसीयत के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर [illegible] दरामद करवाने का अधिकारी हैं। इंतकाल के आधार पर जमाबंदी तैयार हो चुकी [illegible] और प्रतिवादीगण को वादी के पक्ष में वसीयत का मालूम हुआ तो उन्हों वादग्रस्त सम्पदा को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया और इसकी आम बिक्री निकाल दी। प्रतिवादीगण ने स[illegible] में से 3.00 बीघा भूमि का अन्तरण किया जाना मालूम हुआ हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश व अस्थाई व्यादेश की प्रार्थना करता हैं। वादग्रस्त सम्पदा की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रतिवादीगण का मखन सिंह से कोई संबंध नहीं हैं। वादी का वाद प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। और सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में हैं। यदि सम्पदा का अन्तरण होता हैं। तो प्रार्थी को अपरिमेय

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

क्षति होगी। चक 5 एफएफबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 5 प.नं. 224/233 के कि.नं. 11/4 से 23/1 की कुल 3.225है. नहरी भूमि में मदाखलत बेजा करने व किसी अनरू को किसी भी प्रकार से रहन, बैय व अन्तरण करने से वर्जित रहने व प्रार्थी को शांति पूर्वक काश्त करने देने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं वकील प्रार्थी के निवेदन करने पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी। अप्रार्थी सं. 4 को प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता मखनसिंह के नाम वर्णित खातेदारी भूमि थी। मखनसिंह कभी भी प्रार्थी के साथ नहीं रहे। अप्रार्थीगण के पिता ने तथाकथित तारीख को कोई वसीयत प्रार्थी के पक्ष में नहीं करवायी। विवादित रकबा मखनसिंह को विरासतन प्राप्त हाने से स्वअर्जित ना होकर पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। विरासतन इंतकाल विधिवत आवश्यक औपचारिकताएं व समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए दर्ज किया गया था। समस्त तथ्य आधारहीन व साक्ष्यहीन दर्ज करवाये गये हैं। तथाकथित वसीयत की रूह से प्रार्थी घोषित करवा पाने व विरास्तन इंतकाल को असत्य व विधिविरूद्ध घोषित करवा पाने का विधिक अधिकारी नहीं हैं। मौका पर अप्रार्थीगण साधिकार काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि पर प्रारंभ से काबिज हैं और अप्रार्थीगण की ही फसल बीजी हुई व खड़ी हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अप्रार्थीगण विधिनुसार वह अपने अधिकारों को उपयोग करने में पूर्णतया सक्षम हैं। वसीयत के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का प्रोबेट प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया हैं। अप्रार्थीगण 2 व 3 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध तथाकथित कूटरचित वसीयत को सिविल न्यायालय में चुनौति देते हुवे शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने की डिक्री प्राप्ति के लिए वाद पेश कर रखा हैं। विरास्तन इंतकाल अंतिम हो चुका हैं। जिसे प्रार्थी ने आज तक कभी भी प्रश्नगत नहीं किया। जगीन्द्र सिंह ने विवादित रकबा में से अपना हिस्सा मलकीत सिंह को विक्रय कर कब्जा भूमि सुपुर्द कर दिया। वसीयत के संबंध में सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय का होने से प्रकरण माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण काबिल निरस्ती के हैं। प्रार्थी सदभावी नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब अप्राथी सं. 1 ता 3 के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जगीन्द्र सिंह ने विवादित रकबा में से अपन समस्त हिस्सा जरिये बैयनामा 04.09.2015 को मलकीत सिंह को विक्रय कर कब्जा भूमि मय पानी सुपुर्द कर दिया। प्रकरण मिथ्या एवं आधारहीन तथ्यों पर अप्रार्थीगण को परेशान करने व नुकसान पंहुचाने के आशय से पेश करने के खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि परन्तु उनका उनसे कोई स्नेह नहीं था। मखनसिंह ने स्वेच्छा से वसीयत प्रार्थी के पक्ष में की हुई है। अप्रार्थीगण का मखनसिंह से कोई संबंध नहीं होने के कारण उनके वारिस नहीं हैं। विरास्तन इंतकाल गलत दर्ज हुआ हैं। प्रार्थी के पक्ष में वसीयत होने से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। तथा यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अन्यत्र अंतरण कर देंते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः पूर्व में न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य आधारहीन व साक्ष्यहीन दर्ज करवाये गये हैं। अप्रार्थीगण के पिता मखन सिंह ने कोई वसीयत प्रार्थी के पक्ष में नहीं करवायी। विरास्तन इंतकाल विधिवत दर्ज किया गया हैं। विरास्तन इंतकाल अंतिम हो चुका हैं। जिसे प्रार्थी ने आज तक कभी भी प्रश्नगत नहीं किया। अप्रार्थीगण विधिनुसार वह अपने अधिकारों को उपयोग करने में पूर्णतया सक्षम हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी की नहीं अप्रार्थीगण को होगी। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Sohi
Date: 2021.05.25 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ चित्रप्रति वसीयतनामा मखनसिंह पुत्र बस्तासिंह बहक प्रीतम सिंह दिनांक 17.10.1990 पेश की हैं, जिसमें मखन सिंह की पत्नी की मृत्यु पूर्व में ही हो जाना तथा उनके कोई औलाद नहीं होना अंकित हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का कितना हिस्सा निहित हैं, हिस्सा हैं भी अथवा नहीं आदि तथ्यों का निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दू

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

कायम कर साक्ष्यों के आधार पर किया जाना हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अप्रार्थीगण द्वारा मुख्य कथन यह किया गया हैं कि उनके नाम विधिवत विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ हैं। तथा उन्हें भूमि पर समस्त अधिकार प्राप्त हैं। एवं अप्रार्थी जोगेन्द्र सिंह द्वारा अपना हिस्सा भी बेचान किया जा चुका हैं। यदि अप्रार्थीगण भूमि को रहन बैय कर देते हैं तो मुकदमेबाजी बढ़ने की संभावना हैं। जिससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थी को होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि चक 5 एफएफबी के मु.नं. 5 प.नं. 224/233 कि.नं. 11/4 से 23/1 कुल 3.225है. नहरी भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner